(10)

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.

(U.P. GOVT UNDERTAKING)
ISO 9001 : 2008 (QMS) and ISO 14001 : 2004 (EMS) CERTIFIED

EPBX 2720671 / 2720665 / 2720670
Fax-0522-2720846

Website http://www.uprnn.co.in
पंजीकृत कार्यालय :
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ--226 010

Registered Office :
Vishweshwaraiya Bhawan, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010

आवती संख्या 3166
दिनांक 20-7-15

संख्या। 195/ /प्र०नि०/ मा०का०/ रा०नि०नि०/2015 दिनांक 16-7-2015

कार्यालय आदेश

प्राय: देखा गया है कि जब कभी भी किसी नई परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो परियोजना हेतु उपलब्ध निर्माण स्थल/परिसर में कुछ वृक्ष पहले से ही लगे हुए पाये जाते हैं, जिनका विभिन्न भवनों के निर्माण कार्य हेतु पातन(कटान) कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में एतद्द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में निर्माण हेतु जब भी कभी किसी नई परियोजना के लिए ले-आउट बनाये जाएं तो यह प्रयत्न किया जाए कि निर्माण स्थल/परिसर में उपलब्ध अधिकतम वृक्षों को बचाया जाए फिर भी यदि वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य ही हो जाए तो यह ध्यान में रखा जाए कि कम से कम वृक्षों का पातन हो जिसके लिए सक्षम वनाधिकारी से स्वीकृति ले कर यथा सम्भव पातन का कार्य वन विभाग के माध्यम से ही कराया जाए।

वृक्षों के संरक्षण के हित में ये अत्यंत आवश्यक है, अत: भविष्य में नई परियोजना हेतु ले-आउट प्लान बनाते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाना अत्यावश्यक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के साथ-साथ ही परिसर की बाह्य सीमा एवं अन्य स्थानों पर आवश्यकतानुसार शुरू में ही वृक्षारोपण कर दिया जाए, जिससे परियोजना के पूर्ण होते-होते लगाये गये पेड़-पौधे भी बड़े होकर उपयोगी हो सकें।

भवदीय

(आर०के० गोयल)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वास्तुविद् उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० को भी इस आशय से प्रेषित कि कृपया भविष्य में परियोजनाओं हेतु ले-आउट बनाते समय वृक्षों के संरक्षण हेतु वे इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देकर निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2. समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक(वाणिज्य),उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. महाप्रबन्धक(तकनीकी), उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक